न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः नानूराम सैनी, आर. ए. एस.

राजस्व अपील संख्याः 10/2016

1. पृथ्वी सिंह
2. सुमेर सिंह
3. करणी सिंह
4. गिरधारी सिंह

पुत्रगण स्व0 श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी बच्छासर तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलान्टस

—:बनामः—

1. तुलछी कंवर पत्नी स्व0 श्री हेम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बच्छासर तहसील बीकानेर।
2. चोर सिंह
3. कुशाल सिंह
4. चन्द्र सिंह
5. सोहनसिंह

पुत्रगण स्व0 श्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बच्छासर तहसील व जिला बीकानेर।

6. ग्राम पंचायत, बच्छासर जरिये सरपंच।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

रेस्पोडेंटान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाषकः

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
2. श्री फूलचन्द चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1, 3 व 4।
3. प्रत्यर्थी संख्या 2 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा है।

निर्णयः

दिनांकः 28/05/18

यह अपील ग्राम पंचायत बच्छासर की आज्ञा दिनांक अंकित नहीं हैं, के विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— संक्षेप में अपील प्रार्थना—पत्र से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही ग्राम बच्छासर तहसील बीकानेर में खेत खसरा नंबर 153 तादादी 1.96 हैक्टर, खसरा नंबर 176 तादादी 4.23 हैक्टर, खसरा नंबर 177 तादादी 4.60 हैक्टर व खसरा

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर 675/154 तादादी 0.20 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 10.99 हैक्टर भूमि स्थित है, के संयुक्त खातेदार/हिस्सेदार रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 थे। उक्त सहहिस्सेदारों में से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 क्रमशः चोरसिंह व कुशाल सिंह पुत्रगण स्व0 हेमसिंह ने अपने हिस्से व हकों को अपनी माता तुलछी कंवर व दो भाईयों चन्द्रसिंह व सोहनसिंह के हित में जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांकः 07.08.2013 को निष्पादित व पंजीबद्ध कर त्याग दिये। उक्त दस्तावेज रिवील डीड के आधार पर इन्तकाल संख्या 755 प्रत्यर्थी संख्या 1, 4 व 5 के हक में ग्राम पंचायत बच्छासर ने तस्दीक कर दिया। इसी आदेश जैर इन्तकाल से नाराज होकर अपीलांटस जैर इन्तकाल इम्प्रोवर, गलत विधि विरूद्ध एवं खिलाफ कानून व मिसल रिकार्ड एवं एक तरफा तौर पर पारित होने से दोषपूर्ण है तथा निरस्तनीय भी है। अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थना–पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने प्रस्तुत किये गये और प्रस्तुत अपील को मंजूर करने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल को निरस्त कर अपने हक व हिस्से की भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के आदेश करने का निवेदन किया।

3– इस अपील के प्रत्यर्थीगण को सम्मन भिजवाये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 4 की ओर से श्री फूलचंद चौधरी अभिभाषक ने अपना अभिभाषक–पत्र उपस्थित आकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 व 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये। जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में ली गयी।

4– बहस लायक अभिभाषक अपीलान्टस व लायक अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1, 3 व 4 अपील सुनी गयी। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 स्वेछा से अनुपस्थित, एक पक्षीय है।

5– योग्य अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपने अपील ज्ञापन में दर्ज तथ्यों को बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर इन्तकाल पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की ना ही करने में भारी अनियमितता बरती गयी। उन्होंने हमारा ध्यान पत्रावली में उपलब्ध ग्राम बच्छासर की संवत् 2070 से 2073 तक की जमाबंदी की ओर दिलाते हुवे कथन किया कि जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 का 4.41 हैक्टर भूमि ही उनके नाम दर्ज थी तथा शेष 6.58 हैक्टर भूमि अपीलाटस के पिता द्वारा छोड़ी हुई तथा 1.08 हैक्टर उसकी माता गंगादेवी द्वारा क्रय की गयी भूमि जो गंगादेवी की मृत्यु उपरान्त विरासतन उनके हाथों में आ गयी के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस हुवे, लेकिन जब वर्ष सन् 2013 में सह–हिस्सेदार चोरसिंह व कुशालसिंह पुत्रगण स्व0 श्री हेमसिंह ने अपने हक व हिस्से को अपनी माता व भाईयों

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 व 5 के हित में जरिये रिलीज डीड छोड़ दिये थे तथा उक्त रिलीज डीड के आधार पर इन्तकाल संख्या 755 रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 व 5 के नाम स्वीकृत किया गया उसमें संपूर्ण खाते की भूमि कॉलम संख्या 5 में रेस्पोडेंटास की मानकर उनके नाम दर्ज कर दी जो मूल रूप से ही गलत है, क्योंकि कॉलम संख्या 5 में 1/2 हिस्सा अपीलाटस का व 1.08 हैक्टर उनकी माता गंगादेवी का दर्ज किया जाना चाहिए था, जो कॉलम संख्या 11 में अपीलान्ट को 6.58 हैक्टर व रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 4 कीक 4.41 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने पर ही इन्तकाल सही व विधि संगत माना जा सकता था। इसके विपरीत होने से आदेश इन्तकाल जैर अपील दूषित हो जाता है, जो निरस्तनीय भी है। मियाद हेतु बहस में कहा गया कि चूंकि आदेश इन्तकाल जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से इसकी जानकारी पूर्व में उन्हें नहीं हो सकी तथा प्रथमज्ञान की तिथि के आधार पर प्रस्तुत अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुवे इसे अंदर मियाद प्रस्तुत होनी करार दी जानी चाहिए।

6– इस बहस का योग्य अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1, 3 व 4 ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया बल्कि रिकार्ड के आधार पर जो भी विधि सम्मत आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की गयी।

7– मैंने उक्त बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार करते हैं तो मैं यह पाता हूं कि सन् 2013 में आदेश जैर अपील इन्तकाल रिलीज डीड के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 व 5 के पक्ष में सत्यापित करते समय जमीन जैर अपील में अपीलाटस की 6.58 हैक्टर भूमि है जैसा कि संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी में उनके खाते दर्ज थी, को इन्तकाल से कॉलम में दर्ज नहीं कर सारी भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 की मानते हुवे इन्तकाल तस्दीक किया गया, उसमें अपीलाटस की अनुपस्थिति में ही सारी प्रक्रिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी। जिसमें इसकी जानकारी अपीलाटास को किस प्रकार हो सकती थी। अतः अपीलांटस दफा 5 कानून मियाद का फायदा उठाने के हकदार ठहरते है तथा प्रथम ज्ञान की तिथि के आधार पर प्रस्तुत अपील में हुई देरी को क्षमा कर इसे मियाद में प्रस्तुत होनी घोषित की जाती है। जहां तक अपील के गुणागुण के निर्णय का प्रश्न है, अपील को स्वीकार करने में यह पत्रावली पर समुचित आधार है कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि को इन्तकाल के दाखिला व खारिज के कॉलमों में दर्ज नहीं कर तमाम भूमि रेस्पोडेंटान की बताते हुवे कार्यवाही इन्तकाल का न तो समर्थन ही किया जा सकता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है तथा ना ही इसे बनाया रखा जा सकता है अर्थात् खंडित करने योग्य हो जाता है एवं अपील साधिकार रूप से प्रस्तुत होने से इसमें अतिबल है जो काबिले मंजूर हो जाती है।

8– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा आदेश इन्तकाल जैर अपील अवैध होने से अपीलान्टस के हक व हिस्सा की भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा संवत् 2070 से 2073 तक की जमाबंदी में हुवे इन्द्राजों को पुनः प्रतिस्थापित किये जाने एवं आगे बनने वाले राजस्व रिकार्ड में इसी कदर अपीलार्थीगण के नाम अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार को 15 योम में किये जाने के दिये जाते हैं। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

9– निर्णय आज दिनांकः 28/05/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner